[1]THE HARYANA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 1974

(HARYANA ACT NO. 40 OF 1974)

(Received the assent of the Governor of Haryana on the 13th December, 1974, and first published in Haryana Government Gazette (Extraordinary) Legislative Supplement part 1 of December 16th, 1974.

1	2	3	4
Year	No.	Short title	Whether repealed or otherwise affected by legislation
1974	40	The Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974	Amended by Haryana Act 12 of 1981[2]

AN

ACT

to provide for the maintenance of essential services in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. *(1)* This Act may be called the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974. Short title and extent.

(2) It extends to the whole of the State of Haryana.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.

(a) "employment" includes employment of any nature whether paid or unpaid ;

(b) "Government" means the Government of the State of Haryana ;

(c) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

1. For Statement of Objects and Reasons, *see Haryana Government Gazette* (Extraordinary), dated the 22nd November, 1974, page 1636.

2. For Statement of Objects and Reasons, *see Haryana Government Gazette* (Extraordinary), dated the 10th March, 1981, page 393.

[1][(*d*) "strike" means the cessation of work by a body of persons employed in any employment or class of employment to which this Act applies, acting in combination, or a concerted refusal, or a refusal under a common understanding, of any number of persons, who are or have been so employed to continue to work or to accept employment, and includes—

(*i*) mass casual leave in pursuance of a common understanding among the persons who avail themselves of such leave, or under the direction of any other person or persons ;

(*ii*) refusal to work overtime where such work is necessary for the maintenance of work in any employment to which this Act applies ; or

(*iii*) any other conduct which is likely to result in, or results in, cessation or substantial retardation of work in any employment to which this Act applies.]

Employment to which Act applies.

3. This Act shall apply—

(*i*) to all employment under the Government ;

(*ii*) to any other employment or class of employment which the Government, being of the opinion that such employment or class of employment is essential for securing the public safety, the maintenance of public order, health or sanitation, or for maintaining supplies or services necessary for the life of the community, may, by notification, declare.

Power to order persons engaged in certain employment to remain in specified areas.

4. (*1*) The Government or an officer authorised by it in this behalf may, in respect of any employment or class of employment to which section 3 applies, by general or special order, direct that any person or persons engaged in such employment shall not depart out of such area or areas may be specified in such order.

(*2*) An order made under sub-section (*1*) shall be published in such manner as the Government or the officer making the order considers fit to bring it to the notice of persons affected thereby.

1. Inserted by Haryana Act 12 of 1981.

[1][**4A.** *(1)* If the Government is satisfied that in the public interest it is necessary or expendeint so to do, it may by general or special order, prohibit strikes in any employment or class of employment to which this Act applies. Power to prohibit strike.

(2) An order made under sub-section *(1)* shall be published in such manner as the Government considers sufficient to bring it to the notice of the persons affected by the order and shall remain in force for a period of six months :

Provided that the Government may by a like order extend if for any period not exceeding six months, if it is satisfied that in the public interest it is necessary or expendient so to do.

(3) Upon the issue of the order under sub-section *(1)*,—

(a) no person employed in any employment or class of employment to which this Act applies and to whom the order relaters shall go , or remain on strike; and

(b) any strike declared or commenced, whether before or after the issue of the order persons employed in any such employment shall be illegal].

5. *(1)* Any person engaged in any employment or class of employment to which this Act applies who— Offences.

(a) disobeys any lawful order given to him in the course of such employment ;

(b) without reasonable excuse abandons such employment or absents himself from work ;

(c) departs from any area specified in an order made under sub-section *(1)* of section 4 without the consent of the authority making the order ; [2][ ]

[1][*(d)* himself takes part in instigates or incites other person to take part in, or otherwise acts in furtherance of, any illegal strike ; or

(e) knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of any illegal strike.]

hall be guilty of an offence under this Act.

1. Inserted by Haryana Act 12 of 1981.
2. Omitted by *ibid.*

Explanation 1.—The fact that a person apprehends that by continuing in his employment he will be exposed to increased physical danger is not a reasonable excuse within the meaning of clause *(b)*.

Explanation 2.— A person abandons his employment within the meaning of clause (b) who, notwithstanding that is an express or implled term of his contract of employment that he may get his employment terminated on giving notice to his employer of his intention to do so, abandons his employment without the previous consent of his employer.

(2) Any employer of a person engaged in an employment or class of employment declared under section 3 to be an employment to which this Act applies, who without reasonable cause—

(a) discontinues the employment of such person ; or

(b) by closing an establishment in which such person is engaged causes the discontinuance of his employment ;

shall be guilty of an offence under this Act.

Regulation of wages and conditions of service.

6. *(1)* The Government may make rules regulating or empowering a specified authority to regulate wages and other conditions of service of persons or any class of persons engaged in any employment or class of employment declared as such under section 3.

(2) When any such rules have been made or when any directions regulating wages or conditions of service have been given by an authority empowered by such rules to give such directions, any person falling to comply with them shall be guilty of an offence under this Act.

Penalties and procedure.

7. *(1)* Any person found guilty of an offence under this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.

(2) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person incharge of, or responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be liable to the proceded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section *(2)*, where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, a director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

[1][*(4)* The offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.]

(5) Any magistrate or bench of magistrates empowered for the time being to try in a summary manner the offences specified in sub-section *(1)* of section 260 of the Code of Criminal Peocedure , 1973 may, if such magistrate or bench of magistrates thing(s) fit, on an application made, in this behalf, by the complainant, try any offence under this Act in accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the said Code.

8. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or entended to be done under this Act or the rules made thereunder. Indemnity.

9. Any declaration, order, rule or regulation made and any direction given under this Act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being being in force. Over riding effect of orders, rules, etc. made under the Act.

10. The East Punjab Essential Services (Maintenance) Act, 1947 (East Punjab Act 13 of 1947), in its application to the State of Haryana, is hereby repealed. Repeal.

1. Sustituted by Haryana Act 12 of 1981.

हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974

धाराएं	विषय सूची
1	2
1.	संक्षिप्त नाम और प्रसार।
2.	परिभाषाएं।
3.	नियोजन, जिसको यह अधिनियम, लागू होता है।
4.	किसी नियोजन में लगे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों में बने रहने का आदेश देने की शक्ति।
4 क.	हड़ताल प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।
5.	अपराध।
6.	मजदूरी का विनियमन और सेवा की शर्तें।
7.	शास्तियां और प्रक्रिया।
8.	परित्राण।
9.	इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेशों तथा बनाए गए नियमों आदि का अध्यारोही प्रभाव।
10.	निरसन।

[1]हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974
(1974 का हरियाणा अधिनियम संख्या 40)

[मूल अंग्रेजी पाठ को हरियाणा के राज्यपाल की अनुमति 13 अप्रैल, 1974 को प्राप्त हुई और यह हरियाणा राजपत्र (असाधारण) में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 17 अप्रैल, 1974 को पहली बार प्रकाशित हुआ। अधिप्रमाणित हिन्दी पाठ के प्रकाशन हेतु राज्यपाल का प्राधिकार 17 अप्रैल, 1975 को प्राप्त हुआ और यह हरियाणा राजपत्र (असाधारण भाग I) में तिथि 26 अप्रैल, 1975 को पृष्ठ 355-358 पर प्रकाशित हुआ। यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित
1974	40	हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974	[2]1981 के हरियाणा अधिनियम 12 द्वारा संशोधित।

हरियाणा राज्य में आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974 कहा जा सकता है। संक्षिप्त-नाम और प्रसार।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं।

(क) "नियोजन" के अन्तर्गत है, किसी भी स्वरूप का नियोजन, चाहे उसके लिए संदाय किया जाता है या नहीं ;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(ग) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

[3][(घ) "हड़ताल" से अभिप्राय है, किसी नियोजन या नियोजन वर्ग में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बन्द कर दिया जाना, या कितने ही ऐसे व्यक्तियों का जो इस प्रकार नियोजित हैं या नियोजित रहे हैं, काम

---

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22 नवम्बर, 1974, पृष्ठ 1636 (अंग्रेजी) पृष्ठ 1640 (हिन्दी)।
2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 मार्च, 1981, पृष्ठ 393 (अंग्रेजी) पृष्ठ 396 (हिन्दी)।
3. 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 12 द्वारा रखी गई।

करते रहने से या नियोजन स्वीकार करने से सम्मिलित रूप से इनकार करना या सामान्य मति से इनकार करना, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं —

(i) सामूहिक आकस्मिक अवकाश जो ऐसे व्यक्तियों के बीच सामान्य मति के अनुसरण में लिया जाये, जो ऐसे अवकाश अपने आप या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निदेश के अधीन लेते हैं ;

(ii) अतिकालिक काम करते से इनकार करना जो किसी नियोजन के अनुरक्षण के लिये आवश्यक है जिसे यह अधिनियम लागू होता है; या

(iii) कोई अन्य आचरण जिससे किसी ऐसे नियोजन में जिसे यह अधिनियम लागू होता है, कार्य बन्द या पर्याप्त रूप से मंद हो जाता हो या ऐसे होने की संभावना हो।]

नियोजन, जिसको यह अधिनियम लागू होता है ।

3. यह अधिनियम निम्नलिखित को लागू होगा :—

(i) सरकार के अधीन सभी नियोजन ;

(ii) कोई ऐसा अन्य नियोजन या नियोजन-वर्ग, जिसे सरकार, इस राय का होने पर कि ऐसा नियोजन या नियोजन-वर्ग सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या स्वच्छता को बनाए रखने, या समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय अथवा सेवाओं को बनाए रखने के लिये आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

किसी नियोजन में लगे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों में बने रहने का आदेश देने की शक्ति।

4. (1) सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी ऐसे नियोजन या नियोजन-वर्ग के सम्बन्ध में, जिसको धारा 3 लागू होती है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश कर सकता है कि ऐसे नियोजन में लगा ऐसा व्यक्ति या व्यक्तिगण किसी ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से बाहर नहीं जाएंगे, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा, जिसे सरकार या आदेश करने वाला अधिकारी, उस आदेश से प्रभावित व्यक्तियों का ध्यान उसकी ओर दिलाने के लिये उचित समझता है।

हड़ताल, प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।

[4 क. (1) यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक या उचित है, तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी नियोजन या नियोजन वर्ग में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, हड़तालें प्रतिषिद्ध कर सकती हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जायेगा जिसे सरकार आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के नोटिस में लाने के लिये पर्याप्त समझे और यह छह मास की अवधि के लिये लागू रहेगा :

परन्तु यह और कि सरकार इसी प्रकार के आदेश द्वारा इसे छह मास तक की अवधि के लिये बढ़ा सकती है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाए कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक या उचित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी हो जाने पर,—

(क) किसी नियोजन या नियोजन वर्ग में जिसे यह अधिनियम लागू होता है या जिससे यह आदेश संबंधित है, नियोजित कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएगा या हड़ताल पर नहीं रहेगा ; और

---

1. 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 12 द्वारा रखी गई।

(ख) आदेश जारी किये जाने से पूर्व या बाद ऐसे किसी नियोजन में नियोजित व्यक्तियों द्वारा घोषित या आरम्भ की गई कोई भी हड़ताल अवैध होगी।]

5. (1) किसी ऐसे नियोजन या नियोजन-वर्ग में, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, लगा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो— अपराध।

(क) ऐसे नियोजन के दौरान उसे दिये गये किसी विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा करता है;

(ख) युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसे नियोजन को छोड़ देता है या कार्य से अनुपस्थित रहता है; [2][या]

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र से, आदेश करने वाले प्राधिकारी की सम्पत्ति के बिना बाहर चला जाता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ;

[1][(घ) किसी ऐसी हड़ताल में जो अवैध घोषित की गई है, स्वयंमेव भाग लेता है या उन व्यक्तियों को भाग लेने के लिये उकसाता या भड़काता है, या अन्यथा इसे अग्रसर करने में कार्य करता है; या

(ङ) किसी अवैध हड़ताल से अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानबूझ कर धन व्यय करता है या धन प्रदान करता है।]

स्पष्टीकरण 1.— यह बात कि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसके नियोजन में बने रहने से उसे भारी शारीरिक खतरा हो सकता है, खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत युक्तियुक्त प्रतिहेतु नहीं है।

स्पष्टीकरण 2.— जो व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि उसकी नियोजन संविदा का यह अभिव्यक्त या विवक्षित निबन्धन है कि वह अपने नियोजक को अपना नियोज़न समाप्त करने के आशय का नोटिस देकर अपना नियोजन समाप्त करा सकता है, अपने नियोजक की पूर्व सम्मति के बिना अपना नियोजन छोड़ देता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अपना नियोजन छोड़ दिया है।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति का, जो किसी ऐसे नियोजन या नियोजन-वर्ग में लगा है, जिसे धारा 3 के अधीन ऐसा नियोजन घोषित किया गया है, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, नियोजक, जो बिना युक्तियुक्त हेतुक के —

(क) ऐसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर देता है ; या

(ख) ऐसा स्थापन बन्द करके, जिसमें ऐसा व्यक्ति लगा है, उसके नियोजन की समाप्ति कारित करता है,

इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

6. (1) सरकार धारा 3 के अधीन घोषित नियोजन या नियोजन-वर्ग में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग की मज़दूरी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाले नियम या उनका विनियमन करने के लिये किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सशक्त बनाने वाले नियम बना सकती है। मजदूरी का विनियमन और सेवा की शर्तें।

(2) जब ऐसे कोई नियम बना दिये गये हों या जब मजदूरी या सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कोई निदेश, ऐसे नियमों द्वारा ऐसे निदेश देने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये हों, तो उन निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

---

1. 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 12 द्वारा रखा गया।
2. 1981 के हरियाणा अधिनियम संख्या 12 द्वारा लोप किया गया।

शास्तियां और प्रक्रिया ।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी पाया गया कोई व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का भारसाधक है अथवा कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी है, अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तद्नुसार दण्डित किये जाने के दायित्वाधीन होगा:

परन्तु इस उपधारा में दी गई कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड के दायित्वाधीन नहीं बनाएगी, यदि वह सिद्ध कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिये समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सम्पति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध उक्त अधिकारियों की उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी और उसे तद्नुसार दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से अभिप्रेत है, कोई निगमित निकाय, और इसके अन्तर्गत है कोई फर्म या अन्य व्यष्टिसंगम; और

(ख) "निदेशक" से, किसी फर्म के सम्बन्ध में अभिप्रेत है, फर्म का कोई भागीदार।

[1][(4) इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।]

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 260 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संक्षिप्त रीति में विचारण के लिये तत्समय सशक्त कोई मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटपीठ, यदि उचित समझता है, तो परिवादी द्वारा इस निमित्त आवेदन किये जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण उक्त संहिता की धारा 262 से 265 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार कर सकता है।

परित्राण ।

8. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन किये गये आदेशों तथा बनाए गए नियमों आदि का अध्यारोही प्रभाव ।

9. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन की गई किसी घोषणा या आदेश का अथवा बनाए गए किसी नियम या विनियम का और दिए गए निदेश का प्रभाव अध्यारोही होगा।

निरसन ।

10. हरियाणा राज्य को यथालागू पूर्वी पंजाब आवश्यक सेवाएं (अनुरक्षण) अधिनियम, 1947 (1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 13), इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाता है।

1. 1981 के हरियाणा अधिनियम 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

हरियाणा राज्य विधान मण्डल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1974

धाराएं	विषय सूची
1	2
1.	संक्षिप्त नाम ।
2.	परिभाषाएं।
3.	कतिपय लाभ-पदों द्वारा निरर्हित न किया जाना।
4.	निरसन।